



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ७, अंक १०(५)]

शुक्रवार, जानेवारी २२, २०२१/माघ २, शके १९४२

[पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांब्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

विधि व न्याय विभाग

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय,  
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जानेवारी २०२१.

अधिसूचना

श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम, १९८०.

क्रमांक: एसव्हीटी.११२०/प्र.क्र.९७(भाग-१)/का.१६.-- महाराष्ट्र शासनाने, श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम, १९८० (१९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.६) याच्या कलम ५ चे पोट-कलम (३) तसेच, कलम ७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक: एसव्हीटी-१११६/प्र.क्र.२०३/का.१६ या क्रमांकाच्या दिनांक २४ जुलै २०१७ व २४ ऑगस्ट २०१७ च्या शासकीय अधिसूचनांद्वारे श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, (प्रभादेवी) मुंबई (थोडक्यात 'सदर न्यास') चे व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व पाच सदस्यांची तसेच समक्रमांकाच्या दिनांक ३० ऑगस्ट २०१७ च्या अधिसूचनेद्वारे आणखी पाच सदस्यांची नियुक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीकरीता केली होती.

२. सदर व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व इतर सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने, महाराष्ट्र शासनाने, श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम, १९८० (१९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.६) याच्या कलम ५ चे पोट-कलम (३) तसेच, कलम ७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, शासकीय अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक: एसव्हीटी-११२०/प्र.क्र.९७/का.१६, दिनांक २३ जुलै २०२० द्वारे सदर न्यासाचे व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष म्हणून श्री. आदेश चंद्रकांत बांदेकर यांची तीन वर्षांच्या कालावधीकरीता पुनर्नियुक्ती केली आहे.

३. त्यामुळे आता, महाराष्ट्र शासन, श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम, १९८० (१९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.६) याच्या कलम ५ चे पोट-कलम (३) तसेच, कलम ७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून,

सदर न्यासाचे व्यवस्थापन समितीचे कोषाध्यक्ष व सदस्य म्हणून पुढील व्यक्तींची या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करित आहे:—

|      |                              |    |            |
|------|------------------------------|----|------------|
| (१)  | श्री. संजय हरिश्चंद्र सावंत  | .. | कोषाध्यक्ष |
| (२)  | श्रीमती विशाखा शरद राऊत      | .. | सदस्या     |
| (३)  | श्री. सुबोध शरद आचार्य       | .. | सदस्य      |
| (४)  | श्रीमती वैशाली राजेश पाटणकर  | .. | सदस्या     |
| (५)  | श्रीमती आरती किशोर साळवी     | .. | सदस्या     |
| (६)  | श्री. सुनिल कारभारी पालवे    | .. | सदस्य      |
| (७)  | श्री. सुनिल दशरथ गिरी        | .. | सदस्य      |
| (८)  | श्री. राजाराम महादेव देशमुख  | .. | सदस्य      |
| (९)  | श्री. भास्कर रामा शेड्डी     | .. | सदस्य      |
| (१०) | श्रीमती श्वेता अभिजित अवसेकर | .. | सदस्या     |

४. उपरोक्त व्यक्तींची सदर न्यासाच्या व्यवस्थापन समितीवर नियुक्ती झाल्यानंतर या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून सदर न्यासाची व्यवस्थापन समिती खालीलप्रमाणे पुनर्रचित होईल:—

|      |                              |    |            |
|------|------------------------------|----|------------|
| (१)  | श्री. आदेश चंद्रकांत बांदेकर | .. | अध्यक्ष    |
| (२)  | श्री. संजय हरिश्चंद्र सावंत  | .. | कोषाध्यक्ष |
| (३)  | श्रीमती विशाखा शरद राऊत      | .. | सदस्या     |
| (४)  | श्री. सुबोध शरद आचार्य       | .. | सदस्य      |
| (५)  | श्रीमती वैशाली राजेश पाटणकर  | .. | सदस्या     |
| (६)  | श्रीमती आरती किशोर साळवी     | .. | सदस्या     |
| (७)  | श्री. सुनिल कारभारी पालवे    | .. | सदस्य      |
| (८)  | श्री. सुनिल दशरथ गिरी        | .. | सदस्य      |
| (९)  | श्री. राजाराम महादेव देशमुख  | .. | सदस्य      |
| (१०) | श्री. भास्कर रामा शेड्डी     | .. | सदस्य      |
| (११) | श्रीमती श्वेता अभिजित अवसेकर | .. | सदस्या     |

**टीप:—** या अधिसूचनेद्वारे करण्यात येत असलेल्या नियुक्त्या मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित PIL(L) No.५९९७/२०२० (पूर्वीचा क्रमांक. PIL/CJ/LD/VC No. ४२/२०२०) मधील अंतिम न्याय निर्णयाच्या अधीन असतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**आनंद भारत होडावडेकर,**  
शासनाचे उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव.